२०२२/५०२

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

आज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थीगण :– भंवरी देवी पुत्री बोदू राम उम्र 50 वर्ष जाति नायक निवासी भदलिया, तहसील मौलासर जिला नागौर राजस्थान वगैराह।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– जोधाराम पुत्र सेवाराम उम्र 50 वर्ष जाति नायक निवासी भदलिया, तहसील मौलासर जिला नागौर राज0 वगैराह।

कैफियत मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 198 सन्–.....2022..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
01.08.2022	प्रार्थीगण भंवरी देवी पुत्री बोदू राम उम्र 50 वर्ष जाति नायक निवासी भदलिया, तहसील मौलासर जिला नागौर राजस्थान वगैराह ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण जोधाराम पुत्र सेवाराम उम्र 50 वर्ष जाति नायक निवासी भदलिया, तहसील मौलासर जिला नागौर राज0 वगैराह का पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद केरपुरा के खसरा सं0 06 में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 के नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक 29.09.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर) 29/9/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य ... पधारे हैं, मिसल दिनांक 28/10/22 को ...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:21:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

198/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/2023	अधिवक्ता प्रार्थीगण के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री अमराराम चौधरी उपस्थित हुए। इनका मूलवाद जरिए विदड्रॉल खारिज हो जाने के कारण इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः मूल वाद के खारिज हो जाने के कारण हस्तगत प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर रिकार्ड दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:21:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner